कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय भिण्ड (म.प्र.)
कमांक/ठेका/011/ भिण्ड दिनॉक

प्रति,

श्रीमान् संचालक
सूचना एवं प्रकाशन विभाग
जन सम्पर्क संचालनालय
म.प्र. भोपाल

विषयः– खाद्य निविदा वर्ष 2011–2012 जिला चिकित्सालय भिण्ड की प्रकाशन वावत्।

उपरोक्त विषय में लेख है कि जिला चिकित्सालय भिण्ड के आंतरिक रोगियों को भोजन प्रदाय करने हेतु वर्ष 2010–011 दिनॉक 1.04.2011 से 31.03.2012 तक खाद्य सामग्री की निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार कार्यालय समय में अवकाश के दिन को छोड़कर कार्यालय से निविदा फार्म एवं शर्तें 500रू शुल्क जमा कर प्राप्त करें। उक्त निविदा दिनॉक 28.03.2011 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से पहुँच जाना चाहिए उसके बाद आई हुई निविदा अमान्य समझी जावेगी प्राप्त निविदा दिनॉक 29.03.2011 को दोपहर 12:00 बजे कय समिती के समक्ष खोली जावेगी निविदाकार चाहें तो उपस्थित रह सकते है।

कृपया इस निविदा की विज्ञप्ति इस क्षेत्र के 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय में भिजवाने कष्ट करे।

संलग्नः– निविदा विज्ञप्ति 5 प्रतियो में

653 – 59

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय भिण्ड (म.प्र.)

कं./ठेका/2011/ भिण्ड दिनॉक 3.3.2011

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. श्रीमान् कलेक्टर महोदय् जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी भिण्ड की ओर सूचना पटल पर चस्पा हेतु प्रेषित।
5. आर.एम.ओ. जिला चिकित्सालय भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन आई सी जिला भिण्ड की की ओर भेज कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशित भिण्ड की बेबसाइट पर कराने का कष्ट करे।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय भिण्ड (म.प्र.)

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला भिण्ड (म.प्र.)

क्रमांक / डाइट / 2011 / भिण्ड दिनॉक

निविदा सूचना

दिनॉक 01.04.2011 से 31.03.2012 तक जिला चिकित्सालय भिण्ड में उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्री / अन्य सामग्री जिसका वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है। प्रत्येक वर्ग के लिए अलग–अलग निविदाएँ सीलबन्द लिफाफे मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनॉक 28.03.2011 को दोपहर 12:00 बजे तक पहुॅच जाना चाहिए।

निर्धारित अवधि व समय के पश्चात् कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा ऐसी निविदा को अमान्य माना जावेगा। निविदा दिनॉक 29.03.2011 को दोपहर 12:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदाकार चाहें तो उस समय उपस्थित रह सकते है।

वर्ग	क्रमांक	नाम वस्तु / सामग्री	किस्म	अनुमानित मात्रा
1–	1.	गेहूँ	शरवती	120 क्विंटल
	2.	दाल तुअर (छिलका रहित)	छिलका रहित	15 क्विंटल
	3.	छाल मूंग	छिलका सहित	15 क्विंटल
2–	1.	मिर्च,लाल,सूखी	पटनावाली	200 किलो
	2.	धनिया सूखा	सूखी बड़ा हरा	200 किलो
	3.	हल्दी	सूखी गांटदार	200 किलो
	4.	जीरा	बड़ा सफेद	80 किलो
	5.	नमक (आयोडिन युक्त)	सफेद पिसा टाटा	400 किलो
3–	1.	घी	नोवा–सॉची	400 किलो
4–	1.	तेल सरसों	–	700 किलो
5–	1.	दलिया–चावल		20क्विंटल
6–	1.	दूध	भेंस का 5 प्रतिशत फेंट प्रतिशत	05 हजार लीटर
7–	1.	आलू	ताजा	सभी प्रकार की 50 क्विंटल
	2.	लॉकी ताजा	ताजा	
	3.	तोरई ताजा	ताजा	
	4.	पालक ताजा	ताजा	
	5.	बैगन ताजा		
	6.	टमाटर ताजा	ताजा	
	7.	मूली ताजा	ताजा	
	8	प्याज ताजा	ताजा	
8	1.	शक्कर	वडा दाना	20 क्विंटल
9	1.	केला मोसम्बी		प्रति नग / प्रति किलो
10				

कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय भिण्ड (म.प्र.)

निविदा की शर्तें

उपरोक्त क्रय हेतु मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है जिला चिकित्सालय भिण्ड में लगने वाली वर्ष 2011–12 हेतु खाद्य पदार्थों की निविदा का क्रय संबंधी शर्तें निम्न प्रकार होगी–:

1. निविदादाता को निविदा फार्म एवं शर्तें शासकीय अवकाश को छोड़कर कार्यालय समय में 500/– रूपये जमा कराकर प्राप्त कर सकतें हैं।

2. इच्छुक निविदादाता को निविदा के साथ प्रवर्ग के अनुसार धरोहर राशि रू. 20,000 एफ.डी.आर. के रूप में जो कि सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक भिण्ड के नाम से देय हो संलग्न करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

3. निविदादाता को प्रवर्ग क्रमांक 1 के सेम्पल निविदा जमा करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना सेम्पल के निविदा स्वीकार नहीं की जावगी एवं उनके मेक का उल्लेख करना भी अनिवार्य है सेम्पल भी शीशी के अन्दर होना आवश्यक है।

4. निविदादाता को निविदा के साथ गत वर्ष का आयकर एवं विक्रय कर क्लीरेंस प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. निविदादाता को निविदा के साथ एक लिफाफे में दरें तथा एक लिफाफे में धरोहर राशि तथा मांगे गये प्रमाण–पत्र रखने होगें तथा दोनों लिफाफे एक लिफाफे में रखना अनिवार्य होगा।

6. निविदादाता को प्रत्येक प्रवर्ग के लिये अलग–अलग निविदा पृथक–पृथक लिफाफों में सीलबंद देना होगी तथा प्रत्येक लिफाफे पर निविदा किस प्रवर्ग की है। यह लिखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार लिफाफे के एक कोने पर निविदादाता अपना नाम एवं पूरा पता लिखेगा।

7. निविदा पत्र इस कार्यालय में दिनांक 28.03.11 को दोपहर 12.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगें विलम्ब से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा और प्राप्त निविदाएं उसी दिनांक 29.03.11 को प्रातः 12.00 बजे सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला भिण्ड कार्यालय में खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा खोलने के समय स्वयं अथवा उनका एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है इस हेतु उन्हें अलग से सूचना नहीं दी जावेगी और नहीं पृथक से व्यय दिया जावेगा। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को शासन द्वारा कोई अवका । घोशित किया जाता है तो प्राप्त निविदायें आगामी कार्य दिवस में खोली जावेगीं।

8. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये कम व अधिक दरें स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उनकी राय अंतिम मानी जायेगी।

9. आदेश मिलने के पश्चात् स्वीकृत दर दाता को आदेश में दी गई समयावधि के अन्दर माल प्रदाय करना अनिवार्य होगी । समायावधि के अन्दर माल प्रदाय न करने की दशा में माल द्वितीय दरदाता से क्रय कर उसके मूल्य का अन्तर उसकी धरोहर राशि अथवा लंबित बिलों में से काट लिया जावेगा। इसके लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होंगें माल प्रदाय न करने पर स्वीकृत दरदाता को भविष्य के लिये इस कार्यालय से ब्लेक लिस्ट करने का अधिकार सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला भिण्ड को होगा।

10. सामग्री की आवश्यकता होने पर सामान प्रदाय करने की अवधि कम भी की जा सकती है जो स्वीकृत दरदाता को मान्य करना होगी।

11. स्वीकृत निविदा की प्रदाय दरें स्वीकृत दिनांक से आगामी होने तक मान्य होगीं तथा स्वीकृत दरों मे किसी भी विभाग से अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि राजशात (जप्त) कर ली जावेगी जो निविदाएं वर्ष को वापिस की जावेगी वही दरें वित्तीय वर्ष भर स्थिर रहेगी तथा आवश्यकतानुसार सभी निविदादाताओं को उनकी प्रस्तुत दरों पर ही माल प्रदाय करना होगा।

12. माल की डिलेवरी समस्त खर्चे मिलाकर जिला चिकित्सालय भिण्ड में देना होगा।

13. निविदा दरें स्वीकृत होने के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र पर वांछित कोर्ट स्टाम्प 100 रूपये पर टायप कर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

14. निविदा की प्रस्तुत दरों में कॉट–छॉट स्वीकार नहीं की जावेगी तथा दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट लिखा जाना अनिवार्य होगा एवं सूची टायप/कम्प्यूटराईज्ड होना आव यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

15. निविदा फार्म के साथ संलग्न सूची के क्रमांक में कोई वदलाव नहीं होना चाहिये। क्रमांक के आगे जिन बस्तुओं के नाम दिये हैं उन्हीं के आगे दरें लिखना अनिवार्य है।

16. एक निविदादाता भिन्न–भिन्न नामों से निविदा देने का प्रयत्न न करें यदि ऐसी निविदा प्राप्त होती है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

17. समस्त विवादों के निराकरण हेतु न्यायालय का क्षेत्राधिकार भिण्ड होगा।

18. निविदादाता का प्रतिदिन प्रदाय होने वाला सामान (इण्डेट) मॉग पत्र के अनुसार समय पर पाकशाला तक पहुँचाना होगा। संस्था के अधिकारी द्वारा सेम्पल के अनुसार सामग्री प्रदाय न करने पर सामान उसी वक्त ठेकेदार को स्वयं के खर्चे से वापिस ले जाना होगी सामग्री ठीक न होने अथवा किसी अन्य कारणवश पाकशाला में उचित न समझा जाने पर उतनी मात्रा या संख्या में दूसरी अच्छी सामग्री ठेकेदार को तुरन्त पाकशाला में पहुँचाना होगी। सामग्री न देने पर अथवा सामग्री देर से प्रदाय करने पर आवश्यकता की सामग्री बाजार से क्रय कर ली जावेगी। ऐसी दशा में अधिक भाव के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का होगा, जो उसके चालू माह के बिल में से वसूल किया जावेगा और धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी।

19. जो खाद्यान्न ठेकेदार द्वारा पाक ाला में प्रदाय किया जावेगा वह पाक ाला में रखे सेम्पल के अनुसार होगा। खाद्यान्न स्वच्छ बिना हुआ नये साल का एवं कंकड़, कचरा,मिटटी या धूल रहित होना चाहिये। घुने हुये अनाज व दाल किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जावेगी। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न में यदि अन्य अनाज मिला हुआ पाया गया तो संस्था के अधिकारी अथवा क्रय समिति द्वारा गला हुआ माल वापिस कर दिया जावेगा।

20. ठेकेदार पाकशाला के अधिकारी इंचार्ज कों इण्डेंट में लिखे परिमाप से कम लेने के लिये वाध्य नहीं करेगा एवं इस संबंध में ठेकेदार की शिकायत आने पर उसका कोई उज्र सुना नहीं जावेगा। ठेकेदार द्वारा सप्लाई की गई सामग्री उपयोग में न लेने के प चात् अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि दी गई वस्तुओं का स्तर सेम्पल के अनुसार नहीं था तो नियुक्त विभागीय प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि इन बस्तुओं का पेमेन्ट भाव निर्धारित करें। इसमें ठेकेदार का कोई उज्र मान्य नहीं किया जायेगा।

21. किसी ठेकेदार को बिल पेमेन्ट न होने की दिशा में सप्पलाई रोकने का अधिकार नहीं होगा । बिल तीन प्रतियों में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक ठेकेदार को देना होगा। बिल का भुगतान कार्यालय में सुविधा अनुसार किया जावेगा।

22. ठेकेदार विभागीय क्रय समिति के अध्यक्ष की बिना अनुमति के ठेके को दूसरे को स्थानान्तरित नहीं कर सकता।

23. किसी ठेके की भार्त का उल्लंघन करने पर संस्था के अधिकारी को यह अधिकार होगा कि धरोहर राशि जप्त करने के साथ ही उल्लंघन के लिये रूपये 500 जुर्माना करें तथा उससे बसूल करें।

24. बाजार में प्रचलित मैट्रिक वेट के तोल के अनुसार नापतोल कर सामग्री देना अनिवार्य होगा।

25. बॉट नापतोल एवं माल की क्वालिटी आदि के संबंध में यदि कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो संस्था के अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ठेकेदार को इसमें कोई उज्र नही होगा।

26. किसी वर्ग की वस्तुओं की निविदा स्वीकृत करना अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा जो निविदादाता को मान्य करना होगा।

27. यदि ठेकेदार स्वतः प्रतिदिन इण्डेन्ट लेने हेतु एवं माल देने हेतु असमर्थ हो जाता है तो वह जिस व्यक्ति का इसे कार्य के लिये प्राधिकृत करेगा उसेका नाम तथा उस व्यक्ति के प्रमाणित हस्ताक्षर संस्था के अधिकारी को देना आवश्यक होगा ताकि उसे भासकीय कागजात समय–समय पर दिये जा सकें।

28. ठेकेदार अथवा ठेकेदार द्वारा प्राधिकृत व्यकित को संबंधित सक्षम भासकीय कर्मचारी को माल देकर हस्ताक्षर लेना होगा। समस्त इन्डेन्ट के साथ भुगतान हेतु कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।

29. खाद्य सामग्री की जाँच पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी भोपाल अथवा संस्था के अधिकारी की मर्जी व आदेश के अनुसार किसी भी लेबोरेटरी में समय–समय पर कराई जायेगी। प्रत्येक वस्तु की जाँच करने पर यदि वस्तु का स्टेण्डर्ड कम होता है तो उस अनुपात में बिल काटे जावेगें। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम होगा तथा ठेकेदार को इसे मान्य करना होगा।

30. समग्री इण्डेन्ट के अनुसार निश्चित समय पर प्रदाय करनी होगी। इण्डेन्ट लेने की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। सामग्री सीलबंद शीशियों में रखे गये नमूनों से मिलाकर ली जावेगी।

31. मसाले खड़े एवं गेहूँ,चावल,चना, भाक्कर कचरा रहित लिये जावेंगें मिर्च में पृथक से डण्ठल बीज नहीं होने चाहिये।

32. सब्जियाँ स्वच्छ एवं ताजी सुबह प्रदाय करना होगी। ठेकेदार को माँग अनुसार सब्जी प्रदाय करना होगी उसमें सड़ी–गली, कीड़े लगी हुई एवं स्वास्थ्य के लिये अहितकर होने परा वापिस की जावेगी तथा निविदादाता को अविलम्ब ताजा सब्जी प्रदाय करना होगी। गोभी का फूल डण्ठल रहित होना चाहिये अन्यथा वापिस कर दिया जावेगा। हरी सब्जी पत्ते वाली जड़ें रहित एवं सड़ी–गली नहीं होना चाहिये।

33. तेल रिफाइण्ड वाटल, फॉर्चून की दरें पृथक–पृथक स्वीकार होगी । तेल की जाँच फूड एडलट्रेशन के अनुसार आवश्यकतानुसार समय–समय पर पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी भोपाल या अन्य किसी अधिकृत लेबोरेटरी से कराई जावेगी। ठेकेदार को संबंधित लेबोरेटरी का निर्णय अन्तिम मान्य करना होगा। यदि उक्त सामग्री में कोई अशुद्धता पाई गयी तो पूरे पैसे काटना संबंधित संस्था के अधिकारी को अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

34. गेहूँ, चावल आदि किसी कंट्रोल या एफ.सी.आई. की दर से निविदाओं की दर अधिक या कम होने पर स्वीकृत निविदा की दर पर क्रय किया जाना बंधनकारी नहीं होगा।

35. कम से कम तीन निविदायें पूर्ण होना आवश्यक है।

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय भिण्ड (म.प्र.)